FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम बायतु

अमलाराम वगैरह बनाम रावलाराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा. का. 111,128 L.R.Act नं. 314/2021 सन्

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14.10.2021 | प्रार्थी/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री चन्द्रप्रकाश सारण ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा 111,128 राज~~स्थान काश्त~~कारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/10/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 20/10/21 | प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त / श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक-05/01/2022 को पेश हो। | |
| 05/01/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कामों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक-02/02/2022 को पेश हो। | |

02/02/2022 वादी वकील उपस्थित / विपक्षीगणों के नोटिस तामील होकर प्राप्त हो चुके शामिल पत्रावली किये गये / विपक्षी संख्या- 25, 26 व 29 से 31 तथा 34 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया / शेष विपक्षीगण बाद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है / विपक्षी संख्या-25, 26 व 29 से 31 तथा 34 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, काईला पेश करना चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक-16/03/2022 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)

16/03/2022 वकलाय फरीकैन उपस्थित / विपक्षी संख्या- 25, 26 व 29 से 31 तथा 34 के अधिवक्ता द्वारा जवाब मय दस्तावेजों की सूचि श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत अपील की प्रमाणित आदेशकापी की प्रतिलिपि रा० अपील सं.-21/21 व 69/21 भगवान- बीरमाराम v/s मालूराम की प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया / अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 26/04/2022 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)

26/04/2022 वकलाय फरीकैन उपस्थित / श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे हुए हैं अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-27/06/2022 को पेश हो।

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27/06/2022 | प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या -25, 26 व 29 से 31 तथा 34 के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई विप्रार्थी संख्या - 25, 26 व 29 से 31 तथा 34 के अधिवक्ता द्वारा बताया की उक्त विवादित भूमि का इस न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या -103/2016 उनवान - आसुराम V/s भीयाराम वगैरा डिग्री किया गया था जिसकी अपील श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर में 21/2021 उनवान - वीरमाराम V/s आसुराम वगैरा की गई जो वर्तमान में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी श्री वीरमाराम को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है इसलिए विभाजित खसरों की नेपमबंदी अपील विचाराधीन रहते हुए नहीं की जावें। तथा प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत नेपमबंदी आवेदन को इसी स्टेज पर खारीज किया जावें।<br>जबकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि पास-पास व सेठा-सेठ आई हुई है प्रार्थीगण अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने व खेती की रखवाली करने हेतु खेत के चारों ओर नेपमबंदी करवाकर पक्के नेपम स्थापित करवाना चाहते है जिस कारण प्रार्थीगण को अपने खेत की नेपमबंदी करवानी आवश्यक है जबकि विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बताया की उक्त मूल खसरों के सम्बन्ध | |

(SDO)

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | ... अहृ... हुक्म ... में जा... |
|---|---|---|
| | में श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय बाड़मेर के न्यायालय में अपील विचाराधीन है अपील विचाराधीन रहते हुए उक्त नेयमबंदी में नेयमबंदी आदेश [illegible] नहीं किया जावें। श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय बाड़मेर के न्यायालय में अपील विचाराधीन है परन्तु उक्त खातों के सम्बन्ध में कोई स्थगन जारी नहीं किया गया है स्थगन नहीं होने से नेयमबंदी आदेश रोका नहीं जा सकता लिहाजा प्रार्थी का नेयमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेयमबंदी आदेश किया जावे।<br>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेयमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ कार्मिक भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेयमबंदी मौके पर हमिवार शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>... (SDO)<br>... <br>जिला – बाड़मेर | |

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1218 दिनांक : 27/06/2022

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1. अचलाराम पुत्र लिखमाराम वगैरा 11, जाति जाट, निवासी बेरी नाडी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिडा (बाडमेर)

1. रावताराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 126, जाति जाट, निवासी अमरजी की ढाणी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिडा (बाडमेर)

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 314 / 2022

## आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – बेरी नाडी, पटवार हल्का – सवाऊ पदमसिंह, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 381, 490 / 88, 492 / 88, 496 / 381 रकबा क्रमशः 13.5569, 1.0036, 1.9101, 3.6422 हेक्टयर व मौजा– अमरजी की ढाणी पटवार हल्का – सवाऊ पदमसिंह तहसील – गिड़ा के खेत खसरा नं. 622 / 107 रकबा 14.1073 हैक्टयर व मौजा – भोमाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल– सवाऊ पदमसिंह के खेत खसरा नं. 301 / 186 रकबा 8.7979 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जांता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 27/06/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 1219-1223

**प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का पूनियों का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अचलाराम पुत्र लिखमाराम वगैरा 11,
4. विप्रार्थी श्री रावताराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 126,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु